



उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

संख्या-16/2026/बी-1-1434/दस-2026-231/2026

लखनऊ : दिनांक 18 जून, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/ 2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 के प्रस्तर-2 (14) (ड) के नीचे निम्नवत् बिन्दु (च) जोड़ा जाये:-

(च)- अन्य बहुल ग्राम एवं बल्क वाटर सप्लाई योजनाओं पर भुगतान रिम्बर्समेन्ट मोड के अन्तर्गत किया जाता है, अर्थात् राज्य सरकार द्वारा जो भी धनराशि अतिरिक्त रूप में व्यय की गयी है अथवा की जायेगी, उसके सापेक्ष केन्द्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अनुमन्य व्यय की 50 प्रतिशत धनराशि समायोजित की जायेगी।

2- उपरोक्त अंकित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा उसकी शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगी।

दीपक कुमार

अपर मुख्य सचिव, वित्त

एवं वित्त आयुक्त।

संख्या-16/2026/बी-1-1434(1)/दस-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
6. विशेष सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
8. निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, जल जीवन मिशन, उत्तर प्रदेश।
12. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
13. विभागीय आदेश पत्रावली।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।